न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारीः— महेश गगोरिया ,   उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

प्रकरण संख्या—15 / 2024   प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

1. श्री खान सिंह पिता केसर सिंह, जाति राजपूत, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी पीपल्दा, ग्राम पंचायत तम्बोलियां, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. श्री कल्याण सिंह पिता केसर सिंह, जाति राजपूत, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी पीपल्दा, ग्राम पंचायत तम्बोलियां, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

...............प्रार्थीगण

विरूद्व

1. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।
2. गुडडी बाई पिता केसर सिंह निवासी पिपल्दा ग्राम पंचायत तम्बोलिया तहसील रावतभाटा।
3. सत्यनारायण सिंह पिता केसर सिंह निवासी पिपल्दा ग्राम पंचायत तम्बोलिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

...........विपक्षी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम

प्रार्थी की ओर से उपस्थित : श्री भूपेन्द्र पुरोहित।
अप्रार्थी संख्या 2 व 3 एकतरफा कार्यवाही व 01 पेरोकार सरकार।

—:आदेशः—   दिनांकः— 24.10.2024

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया हैं कि मौजा पीपल्दा प0ह0 तम्बोलिया, तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076—79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 16 खसरा संख्या 325 ,350, 351, 355, 357, 370, 371, 384 / 832, 386, 387 कुल किता 10, कुल रकबा 1.82 है0, कुल लगानी 23.26 पै0 भूमि प्रार्थीगण के नाम सहखातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थीगण के सहखातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना—पत्र द्वारा निवेदन किया कि खसरा संख्या 325 ,350, 351, 355, 357, 370, 371, 384 / 832, 386, 387 के पडौसी खातेदार व प्रार्थीगण के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई और फसल कटाई को लेकर व पास मेब के बाडे में फसल को रखने को लेकर व आये दिन मेड, घास फुस को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थीगण की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थीगण को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया— प्रार्थीगण उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवही के आदेश पारित हुए। अप्रा[illegible] तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र [illegible] व्यक्त की गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली [illegible] का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.07 13:00:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—128 रा.ले.रे. एक्ट को [illegible]कार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता हैं मौजा पीपल्दा प0ह0 तम्बोलिया, तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076—79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 16 खसरा संख्या 325 ,350, 351, 355, 357, 370, 371, 384 / 832, 386, 387 कुल किता 10, कुल रकबा 1.82 है0, कुल लगानी 23.26 पै0 भूमि प्रार्थीगण के नाम पर सहखातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/–रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.10.2024 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

(महेश [illegible]) [illegible]एस.
सहायक क[illegible] उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.07 13:00:49 IST
Reason: SelfAttested